न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 384/तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2002 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना -- प्रकरण कमांक 211/2000–01 अपील

देवीराम पुत्र गोपाल मीना, निवासी ग्राम
श्रीराली तहसील व जिला श्योपुर,म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

1-- अमर सिंह पुत्र डाल्या
2-- रतनलाल पुत्र डाल्या
3-- श्रीमती दुर्गा पत्नि स्व0 डाल्या
तीनों निवासी ग्राम विलौआ तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश
4-- महिला पॉची पुत्री डाल्या निवासी ग्राम मउ
तहसील व जिला श्योपुर
5-- महिला फूला पुत्री डाल्या निवासी ग्राम
जहरोनी पर्तवाडा थाना कराहल जिला मुरैना
6-- कप्तान पुत्र भेरूसिंह
7-- कोटसिंह पुत्र भेरूसिंह
8-- कैलाश पुत्र भेरूसिंह
9-- कु0 इकवाल पुत्री भेरूसिंह चारों नावालिक
सरपरस्त माता श्रीमती रामदेवी पत्नि भेरूसिंह
सभी ग्राम विलौआ तहसील पोहरी जिला शिवपुरी
10--महिला कमीज पुत्री भेरूसिंह निवासी शाहवाद ,राजस्थान
11--महिला तोता पुत्री भेरूसिंह निवासी गोठरा वरगवॉ
12--श्रीमती रामदेवी पत्नि स्वर्गीय भेरूसिंह
निवासी ग्राम विलौआ तहसील पोहरी जिला शिवपुरी --अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 -8--2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त , चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 211/2000--01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959

की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम धीरोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 23/2 रकबा 15 वीघा (3.135 है.)(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) संबत 2032 के अषाढ़ मास में रूपये 500/– प्रतिवीधा लेकर 5 वर्ष के लिये पटटे पर दी थी तभी से वह काविज होकर खेती करके लगान राशि अदा करता आ रहा है निरंतर खेती करते रहने से संहिता की धारा 169 एंव 190 के अंतर्गत उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है इसलिये वादग्रस्त भूमि पर उसका नामान्तरण किया जावे। नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 21/1983–84 अ 46 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 19.6.1984 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी घोषित किया गया।

तहसीलदार श्योपुर कलॉ के आदेश दिनांक 19–6–84 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर कलॉ के समक्ष अपील कमांक 50/12–13 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 20.10.1999 से अवधि–वाह्य होने से निरस्त की गई। इसी प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ ने पुनः सुनवाई में लेकर आदेश दिनांक 22.1.2001 पारित किया तथा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–6–1984 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना ने प्रकरण कमांक 211/2000–2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिये कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर कलॉ के समक्ष अपील कमांक 50/12–13 प्रस्तुत होने पर जब आदेश दिनांक 20.10.1999 से अवधि–वाहय मानते हुये निरस्त जब निरस्त कर दी, उसी अंतिम आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने गलत

ढंग से री–ओपिन करके पुनः सुनवाई में लेने की त्रुटि की है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि यदि पीठासीन अधिकारी को ज्ञान में यह तथ्य आ जाय कि उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्य भूल हुई जिसके कारण पक्षकार न्यायदान से बंचित रह रहे हैं–संहिता में दी गई व्यवस्था अनुसार वह भूल सुधार हेतु प्रकरण विचार में लेकर कार्यवाही कर सकते हैं।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर कलॉ के समक्ष अपील कमांक 50 / 12–13 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20.10.1999 से अवधि–वाह्य मानकर निरस्त कर दी गई एंव वाद में इसी प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ ने पुनः सुनवाई में लेकर आदेश दिनांक 22.1.2001 पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.1.2001 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आदेश में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आदेश दिनांक 20.10.99 का पुनरावलोकन करने हेतु उनके व्दारा वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसकी पुष्टि उनके व्दारा प्रकरण कमांक 50 / 12–13 डालकर पारित आदेश दिनांक 22.1.2001 से होती है, यदि उन्होंने पुनरावलोकन की अनुमति राक्षन अधिकारी से प्राप्त कर आदेश दिनांक 20.10.1999 का पुनरावलोकन किया होता, निश्चित है कि आदेश दिनांक 22.1.2001 के प्रकरण का नंबर पुनरावलोकन में दर्ज हुआ होता। किसी भी आदेश के पुनरावलोकन किये जाने हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :–

'' कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी ऐसे आदेश का, चाहे स्वयं उसके व्दारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी व्दारा पारित किया गया हो, पुर्नविलोकन की प्रस्थापना करता है , तो पहले वह उस प्राधिकारी की , जिसके कि वह ठीक अधीनस्थ है , लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। ''

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ व्दारा वरिष्ठ से अनुमति लिये बिना पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.10.99 के जीवित रहते हुये उसी प्रकरण में पुर्नपारित आदेश दिनांक 22.1.2001 त्रुटिपूर्ण होना पाया गया है, जिसके कारण उनके व्दारा पुर्नपारित आदेश दिनांक 22.1.01 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एंव इस बिन्दु पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग

मुरैना ने आदेश दिनांक 30.12.2002 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 भी निरसन योग्य है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ के आदेश दिनांक 22.1.2001 के पद 3 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि तहसीलदार ने इस्तहार का प्रकाशन विधिवत् नहीं किया है। तहसीलदार श्योपुर कलॉ के प्रक0 क0 21/1983-84 अ0 46 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में पृष्ठ कमांक 3 पर विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है जो दिनांक 26.3.1984 को जारी होकर आगामी पेशी 20.4.1984 तक आपत्तियॉ आमंत्रित की गई है तामील कुनिन्दा ने एक प्रति ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा की है प्रमाण में सरपंच की पदामुद्रा सहित हस्ताक्षर हैं, एक प्रति ग्राम के कोटवार को देकर ग्राम में डोंडी पीटकर मुनादी कराई है पुष्टिकरण में 8 ग्रामीणों के हस्ताक्षर एंव निशानी अंगुष्ठ हैं। नायव तहसीलदार ने अनावेदकगण अजगर सिंह, भेरूसिंह, रतनलाल, बहादुर पुत्रगण डाल्या तथा श्रीमती दुर्गा पत्नि स्व. डाल्या , महिला पांचो, महिला फूली पुत्रियां डाल्या को पेशी दिनांक 20.4.1984 की लिखित में सूचना भेजी है। नायव तहसीलदार ने अमरसिंह पुत्र डाल्या, भेरूसिंह पुत्र डाल्या, रतलाल पुत्र डाल्या , बहादुर पुत्र डाल्या तथा महिला दुर्गा पत्नि स्व. डाल्या के कथन अंकित किये है इसके वाद अनुविभागीय अधिकारी का आदेश में यह अंकित करना , कि सूचना पत्र का सही निर्वहन नहीं हुआ है - त्रृटिपूर्ण है , जबकि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ आदेश दिनांक 22.1.2001 के पद 3 के अंत में यह अंकित कर स्वतः स्वीकार करते हैं कि उक्त के साक्ष्य में कथन तो अंकित हुये किन्तु आर्डरशीट पर हस्ताक्षर नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निकाले गये निष्कर्ष उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विरोधाभाषी है क्योंकि तहसीलदार के समक्ष अमरसिंह पुत्र डाल्या, भेरूसिंह पुत्र डाल्या, रतलाल पुत्र डाल्या , बहादुर पुत्र डाल्या तथा महिला दुर्गा पत्नि स्व. डाल्या ने कथनों में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि उन्होंने संवत 3032 के अषाढ़ माह में आवेदक को पांच वर्ष के लिये मौखिक पटटे पर जुताई है तभी से वह काविज होकर खेती करते आ रहा है। इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22.1.2001 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने की भूल की है तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने भी आदेश दिनांक 3.12.2002 पारित करते समय प्रकरण की वास्तविक तह में न जाकर

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कला के त्रृटिपूर्ण आदेश को पुष्ट करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ व्दारा पारित आदेश दिनांक 22.1.2001 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 3.12.2002 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 50/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.01.2001 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरेना व्दारा प्रकरण कमांक 211/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 50/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.1999 तथा नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 21/1983–84 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 19.06.1984 स्थिर रहने से ग्राम धीरोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 23/2 रकबा 15 वीघा (3.135 है.) पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(एम0पी0सिह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर